

लातविया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय  
तथा  
भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय  
के बीच  
वर्ष 2026-2029 के लिए

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

लातविया गणराज्य का संस्कृति मंत्रालय तथा भारत गणराज्य का संस्कृति मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से "दोनों भागीदार" और पृथक रूप से "भागीदार" कहा गया है);

इनके बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों भागीदार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की इच्छा से;

वर्ष 2026-2029 की अवधि के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (जिसे इसके पश्चात्- कार्यक्रम कहा गया है) पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

संगीत और नृत्य

- 1) दोनों भागीदार, संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा शास्त्रीय और लोक मंडलियों सहित संगीत और नृत्य मंडलियों और/या व्यक्तिगत रूप से कला प्रस्तुति करने वाले कलाकारों, प्रत्येक का अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे।
- 2) दोनों भागीदार कोरल संगीत परंपरा को बढ़ावा देंगे और कोरल संगीत विशेषज्ञों और कलाकारों की आगे की शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 2

रंगमंच

- 1) दोनों भागीदार, संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा दोनों देशों में रंगमंच प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे और इसे सुविधाजनक बनाएंगे।

1

- 2) दोनों भागीदार, संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा दोनों देशों के बीच परस्पर आधार पर रंगमंच संबंधी पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

### अनुच्छेद 3

#### दृश्य कला

दोनों भागीदार पारस्परिकता के आधार पर, संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों द्वारा संग्रहालयों और कला संगठनों के बीच समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

### अनुच्छेद 4

#### प्रदर्शनी, संगोष्ठी और सम्मेलन

दोनों भागीदार, संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा संस्कृति और कला पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, आवासीय कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए दूसरे भागीदार के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।

### अनुच्छेद 5

#### सांस्कृतिक विरासत

- 1) दोनों भागीदार, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ सांस्कृतिक वस्तुओं की अवैध तस्करी की रोकथाम में सहयोग का समर्थन करेंगे।
- 2) दोनों भागीदार, दो सप्ताह की अवधि के लिए प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों, कला वस्तुओं की संरक्षा और संरक्षण तथा पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के विकास के क्षेत्र में प्रत्येक के लिए एक-एक विशेषज्ञ का संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा आदान-प्रदान करने पर विचार करेंगे।

### अनुच्छेद 6

#### अभिलेखागार

- 1) दोनों भागीदार, अपने-अपने संग्रहों में पुनः पूर्ति के लिए लातविया के अभिलेखागार में भारत के इतिहास और भारत के अभिलेखागार में लातविया के इतिहास से संबंधित सूचना और प्रलेखन के साथ-साथ दोनों भागीदार के हितों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों (डिजिटल प्रतियां) का आदान-प्रदान करेंगे। तत्संबंधी कार्यविधियां परस्पर परामर्श के माध्यम से तैयार की जाएंगी।
- 2) दोनों भागीदार, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेखों के संरक्षण, अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं डिजिटल परिरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक सप्ताह की अवधि के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करने पर विचार करेंगे।

- 3) लातविया का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पदाधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। इसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में लातविया के पदाधिकारियों और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा।

### अनुच्छेद 7

#### पुस्तकालय

- 1) दोनों भागीदार पारस्परिक आधार पर पुस्तकालयों के संग्रहों से एक-दूसरे के हित के प्रकाशनों और अन्य पठन सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 2) दोनों भागीदार, संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा दोनों देशों के बीच पुस्तकालय कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परस्पर रूप से पुस्तकालय विशेषज्ञों के दौरों के आदान-प्रदान में मदद करेंगे।

### अनुच्छेद 8

#### संग्रहालय

- 1) दोनों भागीदारों के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शों तथा संग्रहालय कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा संयुक्त प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी।
- 2) दोनों भागीदार, संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए चार (4) सप्ताह की अवधि के लिए संग्रहाध्यक्षों, उप संग्रहाध्यक्षों, अनुसंधान अधिकारियों, सहायक संग्रहाध्यक्षों, संरक्षकों सहित संग्रहालय के कार्मिकों/विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में सहयोग करेंगे।
- 3) दोनों भागीदार मानक कला प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

### अनुच्छेद 9

#### साहित्य

- 1) दोनों भागीदार, परस्पर आधार पर संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा एक लेखक प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे।
- 2) दोनों भागीदार, दोनों देशों के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को प्रोत्साहित करेंगे।
- 3) लातवियाई पक्ष भारत में लातवियाई साहित्य को बढ़ावा देने हेतु लातविया लिटरेचर प्लेटफॉर्म ([www.latvianliterature.lv](http://www.latvianliterature.lv)) पर उपलब्ध विदेशी प्रकाशकों और अनुवादकों के लिए अनुदान कार्यक्रम की अनुशंसा करता है।

- 4) लातवियाई पक्ष, इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, भारतीय पक्ष को इंटरनेशनल राइटर्स और ट्रांसलेटर्स हाउस इन वेंटस्पिल्स (जिसे तत्पश्चात द वेंटस्पिल्स हाउस कहा जाएगा) द्वारा लेखकों, कवियों और अनुवादकों को प्रदान की गई रचनात्मक रेसिडेंसी का उपयोग करने हेतु आमंत्रित करता है। रचनात्मक रेसिडेंसी में अठाइस (28) दिनों तक रुकने की सुविधा उपलब्ध होगी। द वेंटस्पिल्स हाउस द्वारा आवास के खर्च को वहन किया जाएगा और निविदा प्रक्रिया के द्वारा रेसिडेंसी स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, द वेंटस्पिल्स हाउस एक (1) अनुवादक, जो लातवियाई भाषा से अनुवाद कार्य करता हो, को गहन लातवियाई भाषा पाठ्यक्रम अध्ययन (जिसकी संपूर्ण राशि कवर की गई है) में भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। यहां ठहरने का मुख्य प्रयोजन लातवियाई साहित्य का अनुवाद करना होगा।

### अनुच्छेद 10

#### अनुसंधान और प्रलेखन

दोनों भागीदार निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाएंगे :

- 1) कलात्मक विरासत, लोक साहित्य/लोक परम्परा तथा कथा रूपों का अध्ययन।
- 2) छात्रों के ज्ञानात्मक तथा कौशल विकास के लिए रचनात्मक कार्यकलाप तैयार करना।
- 3) बच्चों के लिए कला अकादेमियों, संग्रहालयों और शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यकलापों को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना।
- 4) दोनों देशों के मूर्त और अमूर्त कला रूपों की बेहतर समझ के लिए दोनों देशों के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों का विकास।
- 5) दोनों देशों की कलाओं, संग्रहालय वस्तुओं का प्रलेखन करना तथा सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण।

### अनुच्छेद 11

#### महोत्सव

दोनों भागीदार, एक-दूसरे के देश में महोत्सव आयोजित करने पर विचार करेंगे जिसमें प्रत्येक देश से बहुप्रभागियों के मंचकला समूहों के दौरों का आदान-प्रदान शामिल होगा। शामिल किए गए इन दौरों और अन्य कार्यकलापों के ब्यौरे पारस्परिकता के आधार पर तैयार किए जाएंगे।

### अनुच्छेद 12

#### फिल्म

- 1) दोनों भागीदार, अपने-अपने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में एक-दूसरे को आमंत्रित करेंगे।
- 2) दोनों भागीदार, फिल्म निर्माण और फिल्म निर्माण सेवाओं में सहायोग को बढ़ावा देंगे।

### अनुच्छेद 13

## मीडिया

- 1) दोनों भागीदार, अपने-अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के माध्यम से जीवन के पहलुओं और दोनों देशों की संस्कृति को दर्शाने वाले कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 2) दोनों भागीदार संयुक्त रूप से निर्णीत प्रावधानों के द्वारा कार्यक्रमों, मीडिया व्यावसायिकों, मीडिया एवं सूचना साक्षरता के क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान द्वारा तथा संबंधित देश में उपलब्ध प्रशिक्षण विशेषज्ञता और सुविधाओं के उपयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे।

## अनुच्छेद 14

### सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

- 1) इस कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों और आदान-प्रदान प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुरूप कार्यान्वित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दोनों भागीदारों के लिए कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं करता है।
- 2) दोनों भागीदार, इस बात पर सहमत होंगे कि इस कार्यक्रम में उल्लिखित सभी पहलों को उनके संबंधित वार्षिक बजटों में आबंटित निधियों की सीमाओं के भीतर ही किया जाएगा।
- 3) इस कार्यक्रम के सभी प्रावधानों, कार्यक्रमों और कार्यान्वयन के ब्यौरों पर संगत संस्थाओं द्वारा परस्पर रूप से सूचना और सहमति प्रदान की जाएगी।
- 4) व्यक्तियों, शिष्टमंडलों, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान:

प्रत्येक भागीदार, इस कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्यक्तियों के जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषा तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सहित) दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो (2) माह पूर्व दूसरे पक्ष को भेजेगा तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले मंचकला समूहों का जीवन-वृत्त चार (4) माह पहले भेजेगा। मेजबान भागीदार, प्रेषक भागीदार को उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति या आस्थगित किए जाने की सूचना कम से कम एक (1) माह पूर्व भेजेगा।

### 5) प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान:

प्रेषक भागीदार और मेजबान भागीदार के बीच प्रस्तावित प्रदर्शनियों के संबंध में पृथक करार किया जाएगा। प्रेषक भागीदार प्रस्तावित प्रदर्शनियों के तकनीकी विवरण के संबंध में मेजबान भागीदार को सूचित करेगा। संबंधित सूचीपत्र के विवरण से संबंधित आवश्यक सूचना उद्घाटन की तारीख से तीन (3) माह पूर्व अवश्य प्रेषित की जानी चाहिए। कला प्रदर्श अपने गंतव्य स्थान पर प्रदर्शनी खुलने से कम से कम पन्द्रह (15) दिन पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

### 6) सामग्रियों का आदान-प्रदान:

प्रत्येक भागीदार को सूचना, जन संचार के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को मेजबान भागीदार द्वारा किसी तृतीय पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए।

**7) वित्तीय प्रावधान:**

एक-दूसरे के देशों में दौरे के दौरान, प्रेषक भागीदार समूहों के प्रतिनिधियों, शिष्टमंडलों या मंच कला समूहों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय को वहन करेगा, जबकि मेजबान भागीदार आवास, आंतरिक यात्रा व्यय और आपातकालीन व्यय को वहन करेगा।

**8) एक माह की अवधि के दौरे:**

प्रेषक भागीदार, एक (1) माह से अनधिक अवधि के दौरे के मामले में अपने मंचकला समूहों और प्रतिनिधिमंडल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। मेजबान भागीदार, आतिथ्य प्रदान करेगा, जिसमें निःशुल्क आवास एवं भोजन और आंतरिक यात्रा व्यय एवं आपातकालीन व्यय शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति और प्रतिनिधिमंडल अपने मेडिकल बीमे के लिए उत्तरदायी होगा। यह दोनों भागीदारों पर लागू होगा।

**अनुच्छेद 15**

**विविध**


- 1) दोनों भागीदार के बीच इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की विवेचना, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा दोनों भागीदार के बीच परामर्श या बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।
- 2) इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के उपबंध दोनों भागीदार को अन्य व्यवस्थाओं पर, जिसे वे वांछित समझें, परस्पर रूप से सहमत होने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे।
- 3) इस कार्यक्रम को दोनों भागीदारों की आपसी लिखित सहमति द्वारा किसी भी समय समीक्षित या संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संशोधन या आशोधन भागीदारों द्वारा निर्धारित तारीख को प्रभावी होंगे।
- 4) दोनों में से कोई भी भागीदार दूसरे भागीदार को 6 (छः) माह पूर्व लिखित नोटिस देकर इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम की समाप्ति से इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी जारी कार्यक्रम और परियोजना के समापन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक दोनों भागीदार कोई अन्यथा निर्णय न लें।
- 5) वर्तमान कार्यक्रम दोनों भागीदार द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और चार (4) वर्ष की अवधि के लिए या नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने तक वैध रहेगा।

 6 

इस कार्यक्रम पर ...दिनांक 20 मार्च 2026 को ...रीगा... में लातवियाई, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, प्रत्येक की दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी विभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।



लातविया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय  
की ओर से



भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय  
की ओर से